रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2014/ ज्येष्ठ 3, 1936

No. 160] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2014/JYAISTHA 3, 1936

इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक,

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

बाँदा, 8 फरवरी, 2014

सं. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21):-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल, इलाहाबाद बैंक, जो कि प्रायोजक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा, इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक,(अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :-

1. (1) इन विनियमावलियों को इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक,(अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जायेगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक,(अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियमावली कहा जायेगा) के विनियम 2 में खंड (छ) के लिये उप विनियम (1) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत: :-

(छ) 'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य है

" (i) स्केल III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष

(ii) स्केल I और II के अधिकारी के संबंध में महाप्रबंधक; और

(iii) समूह 'ख' कार्यालय सहायक (बहुद्देशीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक(बहुद्देशीय) जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीनस्थ पदस्थापित कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल-IV) तथा प्रधान कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों के संबंध में मुख्य प्रबंधक प्रबंधक (स्केल-IV)"

3. उक्त विनियमावली के लिये विनियम 50 में खंड (i) और (ii) के लिये निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत: :-

" (i) निदेशक मण्डल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी हैं;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं; और

(iii) महाप्रबंधक, जहां क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल-IV) अथवा मुख्य प्रबंधक प्रबंधक (स्केल-IV) सक्षम प्राधिकारी हैं"

सुधांशु गौड़,अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69 जैड/एम/14]

पाद टिप्पणी: दिनांक 20.12.2010 की अधिसूचना संख्या 330(E), के तहत प्रकाशित प्रधान विनियमावली

ALLAHABAD U P GRAMIN BANK

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Banda, the 8th February, 2014

No. Regional Gramin Bank Act, 1976 (21 of 1976).—In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Allahabad U. P. Gramin Bank after consultation with Allahabad Bank being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Allahabad U. P. Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These regulations may be called "Allahabad U. P. Gramin Bank Service (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Allahabad U. P. Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

(g) "Competent Authority" means,-

"(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;

(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and

(iii) Regional Manager (Scale-IV) in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) posted under Regional Offices and Chief Manager (Scale-IV) in respect of employees posted at Head Office";

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where the Competent Authority is Regional Manager (Scale-IV) or Chief Manager (Scale-IV)"

SUDHANSHU GAUR, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69Z/M/14]

Foot note: The principal Regulations published vide Notification No. 330(E) dated 20.12.2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.